No.33/NGT/2024-25 Dt. 25.04.24

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench,
Faridkot House,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Regarding submission of supplementary report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 16.02.2024 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P. The supplementary report on behalf of Varanasi Nagar Nigam is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Encl. As Above

Yours faithfully

(Akshat Verma)
Municipal Commissioner
Varanasi Municipal Corporation

CC:

Advocate Sri Bhawar Pal Singh Jadao, for necessary action on behalf of Nagar Nigam.

Supplementary Report on behalf of Varanasi Municipal Corporation in pursuance of Hon'ble NGT Directions dated 16.02.2024 in O.A. 483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors. Vs State of U.P.

That, OA 483/2022 involves matters pertaining to flood plain zone of river Varuna and Assi, tributaries of Ganga, have not been demarcated within Municipal Corporation, Varanasi and influential people are continuously making encroachment on the same. Further complaint is about illegal discharge of untreated sewage in both the rivers. In compliance to Hon'ble NGT order dt. 04.12.2023 in OA 483/2022, the report dated 12.02.2024 was filed by Municipal Corporation on remedial steps taken to control illegal discharge of untreated waste in both Varuna & Assi river and removal of encroachments from the river course as per revenue records. Further, Hon'ble NGT vide order dated 16.02.2024 has observed the following:

"…………6. Thus, in respect of river Assi also, there is a disclosure about discharge of 28 MLD untreated sewage.

7. Joint Secretary, Urban Development Department, Government of UP has also filed the action taken report belatedly on 15.02.2024 disclosing the similar position in respect of discharge of untreated sewage in river Varuna and Assi. The State has not disclosed the steps taken for demarcation of flood plains of river Varuna and river Assi in District, Varanasi. The report filed by the Joint Secretary, Urban Development Department on 15.04.2024 is absolutely silent on this issue.

1. That in compliance to above mentioned directions, Varanasi Municipal Corporation had already filed the compliance report to Hon'ble NGT; an updated supplementary report highlighting the progress made and current status is being submitted hereby as under:

A. Status of Assi river:

Presently domestic sewage is being disposed in Asi river, whose current discharge is approximately 78 MLD out of which 50 MLD sewage is being diverted and treated in 50 MLD STP located at Ramna. **For treatment of the remaining 28 MLD, approval for construction of 55 MLD capacity STP in Bhagwanpur has been given by NMCG, New Delhi, the tender process has been completed and letter of award has been issued to M/s Environ Info Pvt. Ltd., New Delhi.** The **work**

start date is 07.03.2024 and the work completion date is 06.12.2025. Presently the design drawing work of STP is in progress. For interim treatment, bioremediation is being done by Municipal Corporation, Varanasi. NMCG, New Delhi has also approved the treatment system through **Advanced Oxidation Process for excess discharge**, in which Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) has been appointed as the supervisory agency. The firm has completed the installation of all the required resources at the work site. Due to delay in getting power connection, the above treatment system is proposed to be made operational by 30 April 2024**. (Annexure-1)**

B. Status of Varuna river:

A total of 14 drains are being discharged from the Municipal Corporation limits into Varuna River. After expansion of Municipal limits, 01 drain (Durga drain) whose total discharge is 37 MLD, has been included in the corporation limits. In this way, a total of 15 drains are being discharged into the Varuna River. Out of the above drains, 13 drains are tapped by the Irrigation Department through interceptor sewers. Below are the details of Drains:

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) in Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with installed capacity
1	Phulwariya Drain	7.6	Y	140 MLD STP Dinapur/Chauka Ghat MPS (right bank)
2	Sadar Bazar Drain	2	Y	
3	Raja Bazar Drain	0.1	Y	
4	TeliyaBag Drain	18	y	
5	Nakkhighat Drain	0.1	Y	
6	Narokhar Drain	7.5	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha (left bank)
7	Nai Basti Drain	3	Y	
8	Sarang Talab Drain	1.5	y	
9	Central Jail Drain	6.5	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha
10	Orderly Bazar Drain	7	Y	
11	Chamrautha Drain	1.5	N	
12	Khajuri Colony Drain	1.5	Y	
13	Banaras Drain No.-5	1	Y	
14	Hukulganj Drain	2.5	Y	
15	Durga Drain	37	N	

Existing STPs

	NAME OF STP	INSTALLED CAPACITY
Sr.	**Maintained by UPJN (Urban)**	
1	DINAPUR STP (Unit-1)	140 MLD
2	DINAPUR STP (Unit-2)	80 MLD
3	GOITHAHA STP	120 MLD
	Maintained by UPJN (Rural)	
4	BHAGWANPUR STP	8 MLD
5	RAMANA STP	50 MLD
6	RAMNAGAR STP	10 MLD
	Maintained by Railway	
7	DLW STP	12 MLD
	Total	**420 MLD**

Srl No	Sewerage Facilities	Quantity
1	Sewage Treatment Plants (1989-2021)	7 Nos
2	Sewage Pumping Stations (1971-2021)	16 Nos
3	Old Trunk sewer (shahi nalla)	7.17 Km
4	Relief trunk sewer	9.01Km
5	Ghat sewer 300 mm (1971)	6.18 Km
6	Branch sewer	952 Km

In further course of action for tapping and treatment of overflowing and untapped drains in Varuna a **meeting dated 28.02.2024 (Annexure-2 minutes of Meeting) under the chairmanship of the Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, to resolve the issue, a committee has been formed under the chairmanship of Joint Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban)**. The said committee inspected the work site and a meeting was held with all concerned on 03.04.2024. The report of the said committee is still awaited. Again meeting held on 09.04.2024 **(Annexure-3 minutes of Meeting)** under the chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, it has been directed that complete de-silting, repair etc. of the interceptor sewer line laid by the Irrigation Department will be done by the department itself. A project will be formed by Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) for construction of sewage pumping stations for the said interceptor sewer line to send the sewage for treatment at 120 MLD STP Goithha / 140 MLD to Dinapur STP. For Durga Nala, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) is directed to re-submit the DPR (earlier sent) to NMCG, New Delhi and further action should be taken to get NMCG, New Delhi accepted in the Namami Gange programme. Survey work has been started by Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban) and DPR will be prepared and will be sent for approval within next 02 months. **(Annexure-1)**

Proposed Sewage Treatment Plants (STPs):

S. No	PROPOSED STP	Capacity in MLD
1	Bhagwanpur for excess flow of Assi under Namami Gange	55
2	LOHTA FOR I&D OF DURGA DRAIN under Namami Gange	55
3	STP at Deenapur	220
4	STP ,sewer network and house connection at Sujabad	7
	Total	**337**

C. Demarcation of flood plains of Varuna and Assi river in district Varanasi:

It is to inform Hon'ble NGT that through the OM no. 5111/Sinkamava/Badh/ NGT/ Dated 20.07.2023 from the office of the Superintendent Engineer, Irrigation work division, Varanasi, Executive Engineer, bandhi Prakhand Varanasi shall demarcate the flood plain zones on map and on spot as per their work division **(Annexure-4).** Further District Magistrate, Varanasi through letter no. 2179/NGTOANo.367/2022/2023-24 dated 08.02.2024 directed Executive Engineer, Bandhi Prakhand Irrigation department, Varanasi to demarcate flood plain zones and erect pillars. **(Annexure-5)**

Annexure-1

Email Id- pmgppdvns@yahoo.com

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई

भगवानपुर, वाराणसी–221005

पत्रांक कैम्प / भगवानपुर / 01 दिनांक 24.04.2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
वाराणसी।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संयुक्त आख्या संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
2. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी।
3. अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी।

परियोजना प्रबन्धक

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में आख्या।

असि नदी (नाला)

असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित हो रहा है, जिसका वर्तमान डिस्चार्ज लगभग 78 एम0एल0डी0 है। 50 एम0एल0डी0 सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम0एल0डी0 के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 के निर्माण की स्वीकृति एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स इन्वायरों इन्फ्रा प्रा0लि0, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है। कार्य प्रारम्भ की तिथि 07.03.2024 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.12.2025 है। वर्तमान में एस0टी0पी0 के डिजाईन ड्राइंग का कार्य प्रगति पर है। अन्तरिम ट्रीटमेन्ट हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है एवं एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा भी अतिरिक्त डिस्चार्ज हेतु एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा शोधन व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को सुपरवाईजरी एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। फर्म द्वारा कार्य स्थल पर आवश्यक समस्त संसाधनो का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पावर कनेक्शन प्राप्त करने में हुऐ विलम्ब के कारण उपरोक्त शोधन व्यवस्था को 30 अप्रैल 2024 तक क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।

24/4/24

(संजय कुमार रंजन)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।

24/04/2024

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन में आख्या।

वरूणा नदी

वरूणा नदी में नगर निगम सीमा से कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे है। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरान्त 01 नग बड़ा नाला (दुर्गा नाला) जिसका कुल डिस्चार्ज 37 एम0एल0डी0 है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हुआ है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरूणा नदी में निस्तारित हो रहे है। उपरोक्त नालो में से 13 नग नाले को सिंचाई विभाग द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैप किया गया था। वर्तमान में अधिकांश नाले ओवरफ्लो कर रहे है। वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालो एवं सिंचाई विभाग द्वारा टैप किये गये नालो के ओवरफ्लो के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को आहूत बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी ने दिनांक 03.04.2024 को कार्य स्थल का निरीक्षण एवं समस्त संबंधित के साथ बैठक की गयी थी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट वर्तमान तक अपेक्षित है। पुनः दिनांक 09.04.2024 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्देशित किया गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा बिछायी गयी इन्टरसेप्टर सीवर लाइन की सम्पूर्ण डिसिल्टिंग, मरम्मत इत्यादि सिंचाई विभाग द्वारा ही कराया जायेगा, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा उक्त इन्टरसेप्टर सीवर लाइन हेतु सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण कर सीवेज को शोधन हेतु 120 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 गोइठहा/140 एम0एल0डी0 दीनापुर एस0टी0पी0 पर भेजने की परियोजना का गठन किया जायेगा एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा दुर्गा नाला हेतु अलग एस0टी0पी0 के निर्माण का पूर्व में प्रेषित डी0पी0आर0 पुनः एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को नमामि गंगे कार्यक्रम में स्वीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाये। उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं डी0पी0आर0 आगामी 02 माह के अन्दर स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।

24/4/24

(संजय कुमार रंजन)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (प्रथम)
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
वाराणसी।

24/04/2024

(आशीष कुमार सिंह)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
वाराणसी।

Annexure-2

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय)

6. राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

E-mail- dsaupjn@gmail.com
Phone- 0522-2620172, 2620272,
Fax- 0522-2622389

पत्रांकः– 206/नगपर-I/032–JNNURM/2024

दिनाँकः –13 मार्च, 2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः–वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने आदि से सम्बन्धित विषयों पर विचार–विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1371/नौ–5–2024–Computer No. 1783470 दिनांक 04 मार्च, 2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रसारित किया गया है। इसके बिन्दु संख्या–2 के अनुसार गठित समिति द्वारा वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यो का तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट शासन को 01 माह के भीतर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त समिति में प्रतिभाग करने हेतु सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 के अधीक्षण अभियन्ता को सदस्य के रूप में नामित करने का कष्ट करें, जिससे समिति द्वारा उपर्युक्त सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) एवं
अध्यक्ष समिति

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-2

वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने एवं नगर पालिका परिषद, रायबरेली में सई नदी में प्रवाहित होने वाले अनटैप्ड नालों की टैपिंग, आई0 एण्डडी0 वर्क एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य किये जाने पर विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः संलग्न विवरण के अनुसार।

वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में।

दिनांक 28.02.2024 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वाराणसी में वरूणा नदी में नालों के टैपिंग व बाढ़ के कारण हुई समस्या के संबंध में बैठक हुई। बैठक में अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था यू0पी0 पी0सी0एल0 द्वारा वाराणसी में वरूणा नदी के दोनो छोर पर नदी के चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना (लागत रू0 20165.85 लाख) का कार्य कराया गया था। योजना की स्वीकृति वर्ष 2016 में हुई थी तथा कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण हुआ। योजना के अन्तर्गत वरूणा नदी के तटीय विकास के साथ-साथ दोनो छोर पर आर.सी.सी. ह्यूम पाइप डालकर 13 नालों को टैप किया गया तथा चौकाघाट मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन में मिलाया गया।

यह भी अवगत कराया गया कि प्रति वर्ष बाढ़ के दौरान नालों का टैपिंग स्ट्रक्चर डूब जाता है, जिसके कारण पाइप लाइन में सिल्ट एवं गाद आदि प्रवेश कर गयी है, जिससे लाइन चोक हो गयी है तथा नालों का सीवेज बगल में ओवरफ्लो हो रहा है। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना बनने के उपरान्त से कभी क्रियाशील नहीं हुई है। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 के ओ0ए0 संख्या-483/2022 Ashish Kumar Mishra & Ors व अन्य से आच्छादित है।

2. वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यो की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना है:

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ	अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

सिंचाई एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा नामित अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न न हो)	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी	सदस्य
आई0 आई0 टी0 (बी0 एच0 यू0) के विशेषज्ञ	सदस्य

उक्त समिति द्वारा वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग कराये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ/नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी/ आई0 आई0 टी0 (बी0 एच0 यू0))

3. उक्त गठित समिति द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यो का तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग इस आधार पर की जाए कि वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले 13 नालों में से पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर एवं टैपिंग के कार्यो में वर्तमान में कितने क्रियाशील है, कितने अक्रियाशील है, कितने में रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है एवं कितने कार्यो को कम से कम खर्च में जनोपयोगी बनाया जा सकता है, की विस्तृत रिपोर्ट सर्वेक्षण कर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

4. उक्त गठित समिति के कार्यो में आयुक्त, वाराणसी मण्डल तथा जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा सभी प्रकार का समन्वय स्थापित किया जायेगा तथा संबंधित विभागों द्वारा पूर्व में करे गये कार्यो की सत्यापित प्रतियां, डी0 पी0 आर0 तथा अन्य आवश्यक परियोजना से संबंधित डाटा समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ/आयुक्त, वाराणसी मण्डल/जिलाधिकारी, वाराणसी/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ)

5. यदि वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले 13 नालों में से पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर एवं टैपिंग के कार्यो में वर्तमान में क्रियाशीलता व रेट्रोफिटिंग सम्भव न हो पाने की दशा में पूर्व में

Scanned with OKEN Scanner

सम्पादित की गयी परियोजना से कराये गये कार्यो की जॉच कराकर दोषी अधिकारियों/अभियन्ताओं के विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 कर चार्जशीट दाखिल करते हुए परियोजना की लागत की वसूली के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/आयुक्त, वाराणसी मण्डल/जिलाधिकारी, वाराणसी/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ)

6. यदि वर्तमान में उक्त परियोजना की क्रियाशीलता व रेट्रोफिटिंग सम्भव न हो पाने की दशा में पर्यावरणीय उपचारों एवं जनहित के दृष्टिगत वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले 13 नालों में इण्टर सेप्टर सीवर एवं टैपिंग के कार्यो को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग /प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

- **नगर पालिका परिषद, रायबरेली में सई नदी में प्रवाहित होने वाले 07 अनटैप्ड नालों की टैपिंग के संबंध में।**

अवगत कराया गया कि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित **Execution Application No.32/2023 in** ओ0ए0 संख्या-490/2019 **T.S. Singh vs. State of U.P** में पारित आदेशों से आच्छादित है। नगर पालिका परिषद, रायबरेली के 7 अनटैप्ड नालो के माध्यम से लगभग 32 एम0एल0डी0 अशोधित मल सीधे सई नदी में प्रवाहित हो रहा है।

2. उक्त 07 अनटैप्ड नालों की टैपिंग का कार्य नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में आवंश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

(कार्यवाही: प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग /प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 04-03-2024 14:04:23
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या: 131 **/नौ-5-2024-Computer No: 1783470**

Scanned with OKEN Scanner

File No.9-5099/6/2024- -5-

लखनऊ, दिनांक ०५ मार्च, 2024

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. आयुक्त, वाराणसी मण्डल।
8. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, वाराणसी, रायबरेली।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
11. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
12. निदेशक, आई0आई0टी0 (बी0एच0यू0)
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली (रायबरेली)।
14. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), रायबरेली।
15. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
04.03.2024

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-3

वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित दूषित जल के समुचित प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः संलग्न विवरण के अनुसार।

वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बिछाये गये इण्टर सेप्टर सीवर के क्रियाशील न होने एवं नालों को नदी में गिरने से रोकने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

2. विषयगत प्रकरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2024 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यो की तकनीकी अध्ययन तथा रेट्रोफिटिंग के कार्य का भौतिक निरीक्षण कर अपना प्रस्तुतीकरण बैठक में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समिति द्वारा वाराणसी में वरूणा नदी में प्रवाहित हो रहे नालों की टैपिंग, एस0टी0पी0 निर्माण, सीवरेज नेटवर्क इत्यादि कार्यो को किये जाने हेतु विकल्पों के विषय में विचार-विमर्श किया गया, उक्त के क्रम में निम्नवत् मत स्थिर किया गया:

क्र.सं.	कार्यवाही का बिन्दु	बैठक में दिये गये निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	वरूणा नदी के किनारे पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन/चैम्बर्स की मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य किये जाने के संबंध में।	वरूणा नदी के किनारे बने इण्टरसेप्टर चैम्बर्स, जो प्रायः गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी में डूब जाते है, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में अत्यधिक सिल्ट जमा हो जाता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये गये है: • यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तकनीकी जॉच कराते हुए इण्टरसेप्टर चैम्बर्स को नाले के अपस्ट्रीम में सिफ्ट किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में सिल्टिंग न हो • पूर्व में स्थापित इण्टरसेप्टर सीवर लाइन में बने चैम्बर्स में वरूणा नदी का पानी बैकफ्लो हो जाता है। उक्त ओवरफ्लो के कारणों की तकनीकी जॉच कराते हुए आवश यक कार्यवाही की जाए तथा ओवरफ्लो को रोकने हेतु बनाये गये डक्ट को बन्द करने एवं चैम्बर्स को रिडिजाईन करने के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। पूर्व में बिछाई गयी इण्टरसेप्टर सीवर लाइन को• यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा सर्वे तथा तकनीकी	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

		परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक मरम्मत व डिसिल्टिंग का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाए ताकि इण्टरसेप्टर सीवर लाइन भविष्य में पुन: सिल्टिंग के कारण निष्प्रयोज्य न हो। उक्त कार्य में होने वाले व्यय का आगणन बनाकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से धनराशि प्राप्त करने के संबंध में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	
2	वरूणा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की टैपिंग एवं एस0टी0पी0 निर्माण कराये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (एन0एम0सी0जी0) द्वारा 80 एमएलडी दीनापुर एसटीपी एवं कोनिया एमपीएस को 220 एमएलडी क्षमता पर अपग्रेड किया जाये, उक्त अतिरिक्त दुर्गा नाले की टैपिंग एवं लोहता में 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विषयगत प्रकरण में वरूणा नदी में प्रवाहित 13 नालों के अतिरिक्त शेष नालों के टैपिंग की भी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई अशोधित जल वरूणा नदी में सीधे प्रवाहित न हो।	• प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
3	वरूणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।	उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा वरूणा नदी के दोनों किनारों पर पम्पिंग स्टेशन बनाकर इण्टरसेप्टर सीवर को गोइठहां एसटीपी एवं दीनापुर एसटीपी पर डायवर्जन की कार्यवाही की जाये। उक्त कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि अमृत/राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित धनराशि से कराये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जाये।	• प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ
4	प्रस्तावित कार्यो के समन्वय एवं हस्तान्तरण के संबंध में।	विषयगत प्रकरण से संबंधित कार्यों का समन्वय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा तीनों विभाग यथा-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय/ग्रामीण) एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा उक्त कार्यो में अपेक्षित सहयोग तथा समन्वय प्रदान किया जाए। साथ ही आयुक्त, वाराणसी मण्डल द्वारा उपर्युक्त योजनान्तर्गत बनाये गये विभिन्न	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग • प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

		निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।	विभाग • आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) • प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ • नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी
5	वरूणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में।	वरूणा नदी में जल जमाव से उत्पन्न मच्छरों की समस्या से निजात हेतु सिंचाई विभाग द्वारा वरूणा नदी में अतिरिक्त जल छोड़े जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।	• प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally Signed by अमृत अभिजात
Date: 25-04-2024 11:06:43
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्याः 2005 /नौ-5-2024-Computer No: 1783470

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. महानिदेशक, एन0एम0सी0जी0, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10. जिलाधिकारी, वाराणसी।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
12. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
13. निदेशक, आई0आई0टी0 (बी0एच0यू0)
14. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
25.04.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Annexure-4

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी

पत्रांकः– 5111/सिंकामवा/बाढ़/एन0जी0टी0/ दिनांकः– 20, ,जुलाई–2023

कार्यालय ज्ञाप

ओ0ए0 सं0–673/2018 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के क्रम में शासनादेश सं0–338/20–27–सिं–4–26(रिट)2019 सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–4 दिनांक 09.02.2020 के अनुपालन में इस मण्डल के अधीनस्थ बंधी प्रखण्ड, वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत जनपद वाराणसी में अस्सी नदी में लगातार पूरे वर्ष पानी नहीं बहता है, जो एक नॉन–पेरिनियल नदी है अधिकतर डिस्चार्ज घरों से निकलने वाले पानी का है, के दोनों किनारों से 25 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियों एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "फलड–प्लेन जोन" निर्धारित किया जाता है। उक्त क्षेत्र में निर्माण/अतिक्रमण को रोके जाने हेतु सम्बन्धित द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. अस्सी नदी का फलड प्लेन जोनः–
   (क)–जहाँ नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दोनों तटबंधो के मध्य का क्षेत्र।
   (ख) जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर नदी के किनारों से 25 मीटर तक का क्षेत्र।
2. जनपद के सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड,वाराणसी द्वारा कार्य क्षेत्र के अनुसार फलड प्लेन जोन नक्शे पर एवं मौके पर चिन्हित कराया जाये।
3. फलड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियाँ एवं सभी गति विधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी। उक्त जोन को फलड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जाय एवं पूर्व से चल रही सभी गतिविधिया तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जाए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रहीं गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति मे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेश में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति मे सम्बन्धित नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
5. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फलड–प्लेन जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अर्बन डेवलपमेन्ट विभाग के समकक्ष अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी प्रतिभाग करेगें तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
6. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एवं डेवलेपमेन्ट एक्ट –1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट–1976 के अन्तर्गत फलड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू–मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
7. ऐसे क्षेत्र जो इस प्रस्ताव के विन्दु संख्या–(3) एवं (6) से अच्छादित नही है, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट–1873 की धारा–55 के अन्तर्गत क्षेत्रं को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से विन्दु संख्या–4 में उल्लेखित एजेन्सियं के द्वारा अपने–अपने कार्यक्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाए।

क्रमशः..................

जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेन्सी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाए।

9. सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा नदियों के फ्लड–जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाए कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा ले। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रति पूर्ति नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेगें, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाय। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त उपप्रस्तर (6) तथा (7) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।
10. पुलिस आयुक्त,कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से फ्लड–प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
11. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिकमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था फ्लड–प्लेन जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
12. फ्लड–जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
13. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशनकार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधाए उपलब्ध न करायी जाये।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

20.07.2023

(केशरी सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
20/7/23

पत्रांकः 5111/तदिनांकः 20.07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (विन्ध्याचल), स्तर–1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी को उनके पत्रांक 8102/सोन/92बी–16डब्लू/एन0जी0टी0/दिनांक 20.07.2023 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में।
5. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. जिलाधिकारी, वाराणसी।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
9. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
10. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी को उनके पत्रांक 1644/बप्रवा/कला अनु0/फ्लड–प्लेन जोन/दिनांक 17.07.2023 के कम में।

20.07.2023

(केशरी सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
20/7/23

Annexure-5

कार्यालय–जिलाधिकारी, वाराणसी

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0एन0 नं0 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ0ए0 नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ0ए0 न0 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 03.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरूणा नदी एवं असि नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 1342/ओ0ए0 नं0 128/2021/2022–23, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा निम्नलिखित टीम का गठन किया गया था :–

1. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
3. सम्बंधित उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

उपरोक्त नामित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वरूणा नदी एवं असि नदी पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही 01 माह के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत आख्या फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 न0 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरूणा नदी एवं असि नदी पर किये गये अतिक्रमण का सर्वेक्षणकर 15 दिन के अन्दर चिन्हांकन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में ओ0एन0 नं0 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ0ए0 नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सम्बंध में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत की गयी है तथा प्रश्नगत् प्रकरण में असि नदी एवं वरूणा नदी पर हुए अतिक्रमण के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरूणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरूणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिमार्केशन किया जाये।
4. उपरोक्त सम्पादित कार्यों की समीक्षा अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी द्वारा की जाये तथा सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय कराते हुए कार्यो को ससमय पूर्ण कराया जाये।

उक्त आदेश का समयबद्ध कड़ाई से सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 05 दिवस में प्रस्तुत की जाये। ध्यान दें कि उक्त

क्रमशः .....2.....

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने तथा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने की दशा में सम्बंधित विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

पत्रांक :– 2179/NGT OA No.367/2022/2023-24 दिनांक : 08-02-2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
5. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी।
6. सम्बंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
7. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी